

2

(b) the reasons therefor;

(c) whether Government have taken any action against these factories for violating the Central Government formula as agreed to; and

(d) whether it is a fact that every year such defaults are being committed by the above-mentioned factories?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) to (d). These factories have already paid the extra price for cane upto 1959-60 season. The liabilities of the factories for subsequent seasons have not yet been determined. As soon as they are, Government will take further action to have the payments made within a reasonable time.

Bombay Port

*458. **Shri R. Barua:** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 55 on the 7th August 1962 and state:

(a) whether similar loans have been requested by port authorities other than Bombay from the I.D.A. or World Bank; and

(b) if so, details thereof?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. [See Appendix I, annexure No. 5].

Hindi on Rail Tickets

*459. { **Shri M. K. Kumaran:**
Shri Kajrolkar:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board has decided to substitute Hindi for English in the printing of the names of issuing and destination stations on Third Class Tickets; and

(b) if so, what is the reason for eliminating English in this way?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Srdi S. V. Ramaswamy): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [See Appendix I, annexure No. 6].

संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध
केन्द्र के डिपो से दूध तथा
घी की बिक्री

*४६०. श्री बागड़ी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध केन्द्र के डिपो से घी-दूध सर्व-साधारण को देने में कोई रोक लगाई हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों तथा कर्मचारियों को घी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो सबको सुविधापूर्वक घी और दूध मिल सके इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्री० म० धानस) : (क) से (ग). संसद् भवन का दूध डिपो मुख्यतः संसद् सदस्यों के हित के लिये खोला गया है। परन्तु जब संसद् का अधिवेशन नहीं होता है, उस समय यह संसद् सचिवालय और संसदीय विभाग के कर्मचारियों के हित के लिये खुला रहता है। क्योंकि यह एक ऐसे सुरक्षित स्थान में स्थित है, जहाँ पर जनता नहीं जा सकती अतः जनता को इस डिपो से घी और दूध नहीं बेचा जाता।

गर्मी के महीनों में दूध की कम उपलब्धि होने के कारण, दुग्ध योजना द्वारा फालतू दूध से घी बनाने की मात्रा इतनी काफी नहीं होती कि प्रत्येक व्यक्ति की मांग को पूरा किया जा सके। फिर भी संसद् सदस्यों की घी सम्बन्धी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किये जाते हैं।